



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 08 अप्रैल, 2011 ई0
चैत्र 18, 1933 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 118/XXXVI(3)/2010/20(1)/2011
देहरादून, 08 अप्रैल, 2011

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित “उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन (संशोधन) विधेयक, 2011” पर दिनांक 04 अप्रैल, 2011 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 07, वर्ष 2011 के रूप में सर्व-साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन (संशोधन) अधिनियम, 2011
(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 07, वर्ष 2011)

उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 में अग्रेतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नवत् रूप में अधिनियमित हो :-

1-(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन (संशोधन) अधिनियम, 2011 है।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त, नियत करे।

धारा 4 का
संशोधन

2-उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की
धारा 4 में :-

- (एक) उपधारा (3) के खण्ड (क) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात्—
“(क) 1 अप्रैल, 2011 से प्रारम्भ होने वाले और 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले चार वित्तीय वर्षों में राजस्व घाटा शून्य करेगी;”
- (दो) उपधारा (3) के खण्ड (ग) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात्—
“(ग) वित्तीय वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3.5 प्रतिशत एवं वित्तीय वर्ष 2013-14 और 2014-15 में 3 प्रतिशत से अनधिक रखेगी;”
- (तीन) उपधारा (3) के खण्ड (घ) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात्—
“(घ) 1 अप्रैल, 2011 से प्रारम्भ होने वाले और 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले चार वित्तीय वर्षों की अवधि में सुनिश्चित करेगी कि कुल प्राक्कलित ऋण दायित्व प्राक्कलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष क्रमशः 41.10 प्रतिशत, 40.00 प्रतिशत, 38.50 प्रतिशत और 37.20 प्रतिशत से अधिक न हो:

परन्तु यह है कि आन्तरिक सुरक्षा एवं प्राकृतिक आपदाओं के कारण राज्य सरकार के वित्त पर अप्रत्याशित मांगों के आधार या आधारों पर, राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा इस उपबन्ध में विनिर्दिष्ट सीमाओं से इस शर्त के अध्वधीन बढ़ सकता है कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण उद्भूत सीमाओं का आधिक्य वास्तविक राजकोषीय मूल्य, जो आपदाओं के लिए आरोपित किया जा सकता हो, से अधिक नहीं होगा:

परन्तु यह और कि प्रथम परन्तुक में विनिर्दिष्ट आधार या आधारों की, यह सम्भाव्य हो जाने के पश्चात् कि ऐसी घाटे की धनराशि उपर्युक्त सीमाओं से बढ़ जायेगी, विधान मण्डल के समक्ष, आधिक्य की सम्भावित सीमा और उसके कारणों को आधिक्यित करते हुए, एक रिपोर्ट के साथ रखा जायेगा।”

- (चार) उपधारा (3) के खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित एक नया उपखण्ड (छ) अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात्—

“(छ) राज्य सरकार उपरोक्त लक्ष्यों की समीक्षा हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित करेगी, जो कम से कम प्रत्येक छः माह में एक बार प्रगति की समीक्षा करेगी।”

आज्ञा से,

राम सिंह,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of '**The Uttarakhand Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Act, 2011**' (Adhinyam Sankhya 07 of 2011)–

As Passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on April 04, 2011.

No. 118/XXXVI(3)/2010/20(1)/2011

Dated Dehradun, April 08, 2011

NOTIFICATION

Miscellaneous

THE UTTARAKHAND FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET MANAGEMENT (AMENDMENT)
ACT, 2011

(UTTARAKHAND ACT NO. 07 OF 2011)

Further to amend The Uttarakhand Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005.

AN

ACT

Be it enacted by the Uttarakhand Legislative Assembly in the Sixty-second Year of the Republic of India as follows:--

1. (1) This Act may be called The Uttarakhand Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Act, 2011. Short title and Commencement
- (2) It shall come into force on such date as the State Government may, appoint by notification in this behalf.
2. In section 4 of the Uttarakhand Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005: Amendment of section 4
 - (i) clause (a) of sub-section (3) shall be substituted as follows; namely--
“(a) reduce the revenue deficit to nil in the four years starting from 1st April, 2011 and ending on 31st March, 2015;”
 - (ii) clause (c) of sub-section (3) shall be substituted as follows; namely--
“(c) reduce the fiscal deficit in financial year 2011-12 and 2012-13 to not more than 3.5 percent of gross state domestic product (GSDP) and 3 percent in financial year 2013-14 and 2014-15;”
 - (iii) clause (f) of sub-section (3) shall be substituted as follows; namely--
“(f) ensure that during the period of four financial years starting from 1st April, 2011 and ending on 31st March, 2015 the total estimated debt liability does not exceed 41.10, 40.00, 38.50 and 37.20 percent respectively of its estimated gross state domestic product:

Provided that revenue deficit and fiscal deficit may exceed the limits specified under this sub-section due to ground or grounds of unforeseen demands on the finance of the State Government due to internal security or natural calamity, subject to the condition that the excess beyond limits arising due to natural calamities does not exceed the actual fiscal cost that can be attributed to the calamities:

Provided further that the ground or grounds specified in the first proviso shall be placed before the State Legislature, as soon as possible, after it becomes likely that such deficit amount may exceed the aforesaid limits, with accompanying report stating the likely extent of excess, and reasons therefor."

- (iv) after sub-clause (f) of sub-section (3), a new sub-clause (g) shall be inserted as follows; namely--
- "(g) The State Government shall constitute a committee under the chairmanship of the Chief Secretary, to review the progress against above targets at least once every six months."

By Order,

RAM SINGH,
Principal Secretary.